

- टीओडी जौन्स में उच्च धनराश जौन्स का विधायक कर सार्वजनिक परियोजना को बढ़ावा देना जिससे ट्रैजिडि और देशिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आधारियों/कारियों द्वारा बचायी गयी पैदल पट्टी की डिस्कोन्नेक्शन में वृद्धि होनी और परिणामस्वरूप उससे जौन में प्रदूषण और भीड़-भाड़ में भी कमी होगी।
- मिश्रित भू-उपयोग को विकसित कर टीओडी जौन में कार्य/रोजगार, खरीददारी, सार्वजनिक सुविधाओं, मनोरंजन की आधारभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था करना, जिससे यात्रा करने की आवश्यकता में कमी होगी।
- विभिन्न उपयोगों एवं ट्रैजिडि नोड्स के मध्य सुरक्षित एवं सहज आवागमन और गैर-मोटर वाहनों पर निर्भर रहने वाले लोग ट्रैजिडि नोड से पैदल चलने वाली दो संयोजन के लिये विकास क्षेत्र के भीतर सड़क संदर्भ की स्थापना करना।
- निजी वाहनों के स्वामित्व, सादायात और हराएँ जुड़ी पार्किंग की जगह में कमी लाना।
- टीओडी जौन के भीतर इसक्यूडिव पर्यायस को विकसित करना जिससे सार्वजनिक परियोजना पर निर्भर रहने वाले लोग ट्रैजिडि नोड से पैदल चलने की दूरी के भीतर निवास योग्य समुदायों में रह सकें।
- टीओडी जौन में सार्वजनिक स्थान से दूरबीन वर्गों (इन्डब्ल्यूएस) और आर्थिक क्षमतानुसार आवास को एक स्थान पर एकत्रित करना, जिस हेतु कुल आधार सम्पूर्ति में उनके लिए कुल निर्मित क्षेत्र का एक विहित अनुपात आवंटित करना।
- टीओडी जौन में हाइको गुणवत्तायुक्त के जीवन के लिये अपेक्षित सभी प्रकार के आमेन-प्रमोड/मनोरंजन/खुले स्थान की व्यवस्था करना।
- भवन उपविधि में आवश्यक संशोधन करके महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों पर विशेष ध्यान देते हुए सुरक्षित समाज का विकास सुनिश्चित करना।
- ट्रैजिडि कारीदोर सड़क की बुनिया प्रदान कर बढ़ती हुई आबादी को एक सुसम्बद्ध क्षेत्र में समायोजित करते हुए शहरी प्रसार को नियंत्रित करना, जिससे नियंत्रण की सुदृढ़ होना और अवस्थापना विचारों लागू में भी कमी आयेगी और
- लाइन हाउस के सामान्यतः पैदल और निकास यात्राओं के लिए पार्किंगीय अनुपूरक यात्रा विकल्पों को वर्गनिकर के कार्बन उत्सर्जन में कमी करना।

द्वितीयः

- (1) *दो अंकी लोअर का विद्यमान नू उपयोग अधिकतर हाथ मध्यम तथा अंगुली देवदापेन्ड प्रमन में यथा परिभाषित उपयोग को अनुसार होगा।
- (2) *अन्य उपयोग में आवासीय/व्यवसायिक/क्यालय/संस्थान/सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक/औद्योगिक (मशीन और प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर) सम्मिलित होंगे, जो किसी से अनुपलब्ध न हो सकते हैं।

(अध्या-२) प्रकृत हेतुसंयुक्त से अधिष्ठत रूप लो ओ डी स्वर्गीग-

[illegible]

आवक (A)	उपयोग टी.ओ.डी.					किमी.ओ. अन्य उपयोग हेतु
निश्चित उपयोग	निश्चित उपयोग की ओर	20-40 प्रतिशत	5-10 प्रतिशत	0-10 प्रतिशत	10-15 प्रतिशत	एक ए.ओ.डी. का योग प्रतिशत किसी भी अन्य उपयोग हेतु

टिप्पणी-

- (1) *अन्य उपयोग- अग्रोप एक ए.ओ.डी. कोटेशन मात्र एक अथवा आवासीय / व्यावसायिक / कार्यालय / पी.एस.पी. / औद्योगिक (गरी और प्रदूषणकारी सधारा को छोड़कर) निश्चित रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- (2) टी.ओ.डी. रकम के लिये उपग्रह (टी) की तालिका में उल्लिखित से मिले नू उपयोगों में मिश्रित अनुमत विद्यमान नू-उपयोग के न्यूनतम 50 प्रतिशत तक होगा और शेष 50 प्रतिशत किसी अन्य उपयोग (गरी और प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर) के लिये होगा।

3.4.4 श्रेणी-1 और श्रेणी-2 के ग्राहकों के लिये भवन समर्थित निम्नवत् होगी-

ग्राहक की श्रेणी	निर्मित क्षेत्र			सिक्त क्षेत्र			अविकसित क्षेत्र		
एक हेक्टेयर तक की टी.ओ.डी. रकम	न्यूनतम साईट-ऑफ वे	बेस एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	टी.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	न्यूनतम साईट-ऑफ वे	बेस एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	टी.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	न्यूनतम साईट-ऑफ वे	बेस एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	टी.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.
	12 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	2.5	12 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	3	12 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	3.5
	12-18 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	3.0	12-18 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	3.5	12-18 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	4.0
	18 मी. से अधिक	भवन समर्थित के अनुसार	3.5	18 मी. से अधिक	भवन समर्थित के अनुसार	4.0	18 मी. से अधिक	भवन समर्थित के अनुसार	4.5
एक हेक्टेयर	न्यूनतम साईट-ऑफ वे	बेस एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	टी.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	न्यूनतम साईट-ऑफ वे	बेस एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	टी.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	न्यूनतम साईट-ऑफ वे	बेस एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.	टी.ओ.डी. एक ए.ओ.डी. एक ए.ओ.डी.
	12 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	2.5	12 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	3	12 मी.	भवन समर्थित के अनुसार	3.5

[illegible]

(तीन) सर्दिकल निशित् उपयोग वाले भवनों में यथा आवश्यक पुरुषक-पुथक प्रवेश/निकास और सेवा केन्द्र उपलब्ध कराया जाएगा, जो संवर्धित विकास प्राधिकरण/डीओडी जोस के जोजल डेवलपमेन्ट प्लान की, प्रचलित भवन उपविधि की अधिकाओं का पालन कररे हों।

5.4.3 टी.ओ.डी. रक्षित के भाग के रूप में उपलब्ध करायी गयी जन सुविधाये जैसे-सर्वजनिक शौचालय, पुल आदि सामान्य जन हेतु दिन के अव्यक्त समय खुले रहें और पहुँच में हों, वे एक पक्ष से मुक्त हों तथा विक्रयकर्ता कम्पनी द्वारा नियमित रूप से अनुरक्षित किये जायेंगे।

3.4.3. तब तक कि इस नीति में विशेष रूप से अव्यथा व्यय न किया गया हो या हो, जोड़ी जोन के लिये जोमल डेवलपमेंट प्लान में विस्तृत रूप से वर्णित न हो, ऐसे महसूसों को सेट बैक, हरित पट्टी क्षेत्र, भवन की ऊँचाई, डेडवुड्स, और एल, आई, जी, अपेक्षायें, आदि के प्राथमिक प्रयत्नित विकास मर्यादित करने उपविधि को मानकी या राज्य सरकार द्वारा जारी सुरंगत शासनदेशों के अनुसार होंगे। भवन उपविधि और इस नीति के प्राविधानों के मध्य किसी बिन्दु पर साक्षात् नहीं होने की दशा में इस नीति के प्राविधान प्रभावी होंगे।

टी.ओ.डी. जोल के उत्तरार्थत जहां आवश्यक हो, केवल वही ऑन-स्ट्रीट पार्किंग का प्राविधान किया जायेगा। निजी वाहनों के लिये निशुल्क (बिना शुभलाभ) ऑन-स्ट्रीट पार्किंग उपलब्ध नहीं करायी जायेगी और ऐसे ऑनस्ट्रीट पार्किंग में व्यंग्रस्ट्रीट पार्किंग से अधिक शुल्क रखा जायेगा। पार्किंग, स्टैंक पार्किंग, ड्राफ्ट पार्किंग, पॉडियम पार्किंग, स्टैंड पार्किंग धरातल पर या वेस्वेस्ट में या पॉडियम में या किसी अभिनय पद्धति के क्रम में हो सकती है और खाने कार संपन (डिस्पोस) को आवश्यकता के लिये गणना की जायेगी। टी.ओ.डी. के लिये जोनल डेमांडथर्मेट स्थान एवं टीओडीड के लिए निर्मित गहन संप्रविधि पार्किंग की नियंटण और प्राविधान इल्लिस्त्रिड प्राविधानों के अतिरिक्त होंगे और किसी बिबाव की वषा में जोनल डेमांडथर्मेट स्थान के प्राविधान ही गान्य होंगे।

५४५१ वातिरिचल अवल उपतिमि छदाहरणार्थ वास्तु संभंधी / सूर्याड केड्ढील, डुमिडवी

ओ.डी. के प्रोत्तल कवचापवर्द्ध प्रदान एवं हो.ओ.डी. के एकद्वि आयुक्त भवन समुदाय के अनुसंधानोपस्थापना इसका समर्थन विकास क्षेत्र की गवर्न प्रमोदशि ५४ समुदायों की समुदायों को

3.4.12 महासंरक्षणान्तर्गत कृषि भूमि उपयोग में लाना "हार्ड पोटेन्शियल क्षेत्र" विहित विधि भये है, वहां लोअल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के पूर्व ट्रांजिट एजेंसी के साथ परामर्श करके महासंरक्षण में ऐसे क्षेत्रों को भू-उपयोग को संशोधित किया जायेगा।

3.5 ट्रांजिट ओरिएण्टेड डेवलपमेंट की वित्तीय स्थिरता-

3.5.1 रेल्वे कंक्टर मॉडनेसिग (पी.सी.एफ.) का सदस्य ट्रांजिट/टी.ओ.डी. लोन को फलस्वरूप किसी नए/सर्वाधिक के मुख्य में हुई वृद्धि के एक भाग को प्राप्त करना है और ऐसे संरक्षण को टी.ओ.डी. लोन में ट्रांजिट परियोजना और आवश्यक सन्तुष्ट की निर्यात सार्वजनिक के लिये उपयोग करना है। नैशनल पी.सी.एफ. फॉरलिसी सेमवार 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य में ट्रांजिट और टी.ओ.डी. परियोजनाओं की वित्तीय समर्थन के लिये निम्नलिखित दो सी.एफ. संस्थानों को किरायेदार के लिए चिन्हित किया गया है-

संस्थान	प्रशोधन	संरक्षण की शक्ति	टी.ओ.डी. लोन में अवस्थापना/ सुविधाओं के विकास हेतु	राजस्व की हिस्सेदारी	ट्रांजिट परियोजना की वित्तीय समर्थन हेतु ट्रांजिट एजेंसी को
---------	---------	------------------	--	----------------------	---

किरायेदार के लिये परतावित की सी.एफ. संस्थान

अतिरिक्त व्यय-योग्य एंटरप्राइज	टी.ओ.डी. लोन	विशेष प्राप्ति संरक्षण का प्रतिकारण द्वारा संग्रहण किया जायेगा और एक प्रमुख निधि में रखा जायेगा	प्राप्ति संरक्षण का 60 प्रतिशत अंश निर्यात अधिकारण द्वारा अपने पास रखा जायेगा	राजस्व का 50 प्रतिशत अंश एजेंसी के पास निर्यात परतावित के लिये होगा
--------------------------------	--------------	---	---	---

राज्य सरकार समर्थन-समर्थन पर अन्य संस्थानों को भी सी.एफ. संस्थान के लोन में अधिकारिता रख सकती है।

3.5.2 टी.सी.एफ. के सदस्य की कठिना राजस्व को टी.ओ.डी. लोन के समर्थन ट्रांजिट

3.5.3 राज्य सरकार आदेशक विधायी संशोधन, नियामकलियाँ और भवन उपविधि को संशोधन, उद्योगों, आवश्यक आदेशों और निर्देशों को निर्मित करने की कार्यवाही करेगी और वी.सी.एफ. साधनों को प्रचारित करने तथा राजस्व हिस्सेदारी की विधिविधि के लिये अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना सुनिश्चित करने को लिये उपाय करेगी।

3.5.4 इन साधनों के संचालन के लिये प्रचालन संबंधी प्राविधानों और राजस्व हिस्सेदारी तथा उपयोग की विधिविधि को राज्य सरकार द्वारा इस नीति के अधीन आवश्यकानुसार दिशा निर्देश निर्गत किये जाएंगे।

3.6 नीति के क्रियान्वयन के लिये रूपरेखा-

3.6.1 आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को माध्यम से राज्य सरकार द्वारा नीति के क्रियान्वयन में सहायता करेगी और उसके निम्नलिखित प्राधिकार होंगे:-

- (एक) एंजिटर ऑसिण्टेड डेवलपमेंट कालिडी ब्या नियमन, सचवासीकरण और संशोधन करना;
- (दो) महासंयोजन और ज़ोनल डेवलपमेंट प्लान को अनुमोदित और संशोधनों को अधिसूचित करना;
- (तीन) वी.सी.डी. स्क्रीम के अनुमोदन के लिये स्वीकर्ता समिति और अन्य ऐसी समितियों का गठन करने के लिये शासनादेश निर्मित करना और वी.सी.डी. के क्रियान्वयन के संबंध में नियमित अनुश्रवण और समन्वय करना;
- (चार) ट्रांजिट परियोजनाओं का वित्तीय धारणीयता तथा वी.सी.डी. ज़ोन के आधारभूत संरचनात्मक पुनर्गठन हेतु कैप्टर कैप्चर फाइनेंस के संसाधनों को लागू करना तथा इसे संचालित करना।
- (पाँच) विकास और लैण्ड कैप्टर कैप्टर को प्रेरित करने के लिये सरकारी भूमि, जो विभिन्न अभिकरणों और विभागों के स्वामित्व में है, पर वी.सी.डी. प्रस्तावों में सहायता करना;
- (छ) वित्तीय धारणीयता हेतु ट्रांजिट एजेंसी को वी.सी.डी.एफ. आय की निस्तार उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवस्था का प्रयोग तथा इसे हेतु विनियमन का निर्माण एवं शासनादेश निर्मित किया जाना।
- (सात) वी.सी.डी. के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार को अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करने में सहायता करना;
- (आठ) स्टैकहोल्डर्स, जिन्हें विकास प्राधिकरण ट्रांजिट एजेंसियों और वी.सी.डी. तथा वी.सी.डी.एफ. क्रियान्वयन में कार्यरत संस्थाएँ भी हैं,

(नूतननिर्माण) आरम्भ होगा।

(एक) महायोजना में टी.ओ.डी. ज़ोन की पहचान, परिक्षीकरण और संचालन करना।

(दो) टी.ओ.डी. के लिये अवशेष जोड़कर महामोपान्त निर्माण/संशोधित करना, टी.ओ.डी. के फिक्स्चर बनाने हेतु ज़ोनिंग श्रुतिपत्र और भवन उपविधि के प्रावधानों को समर्थ बनाना।

(तीन) टी.ओ.डी. लॉन्ग के लिये जोड़ल डेवलपमेंट प्लान को निरीक्षण करना, अधिकांश टी.ओ.डी. ज़ोन के लिये ज़ोनाल डेवलपमेंट प्लान तैयार करने हेतु ड्राफ्ट एजेंसी से समन्वय करना, जैसी स्थिति और सुधारकता हो।

(चार) ड्राफ्ट एजेंसियों द्वारा तैयार किये गये जोड़ल डेवलपमेंट प्लान और विचारकर्ता कमपनियों द्वारा तैयार की गयी टी.ओ.डी. रस्सीन को एक स्वीकृती समिति, जिसमें विकास अधिकारी, ड्राफ्ट एजेंसियों और अन्य संबंधित विभागी/सेक्टर प्रयोग संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हों, को माफ़ान से समीक्षा और रायकार दिये जा सकें करना।

(पाँच) जोड़ल डेवलपमेंट प्लान में लिखित टी.ओ.डी. ज़ोन के लिये एकीकृत प्राथम्य अवस्थापना और सेवाओं को प्रस्तावों को तैयार एवं कार्यान्वित करना।

(छ) हीण्डू मूर्तिम और मूर्ति आभरण से सहायता करना और (सात) ड्राफ्ट विदेशीय आरपीयता तथा अवस्थापनात्मक अनुदान के लिये राज्य सरकार और ट्रांजिट एजेंसी के साथ परामर्श से टी.ओ.डी. संसाधनों को सुचारु रूप से आय प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न (ओ.सी.एफ.) प्रकृत तंत्र की स्थापना तथा अधिक की हिरसंदाशी का अनुबन्ध सम्प्रादित किया जाना जो संवधित पक्षों पर वायव्यसे हो।

3.5.3. ट्रांजिट परमिषी के निम्नलिखित समित्व होगे-

(एक) स्वचित परियोजना की तथा प्रयोज्य नियंत्रण अभिलक्षण, विधानमंडल, संसाधन और अनुसूक्त करना।

(दो) विधान प्राधिकरण के परमर्श से तथा आवश्यक टी.ओ.डी. ज़ोन के लिये जोड़ल डेवलपमेंट प्लान तैयार करना।

(तीन) जोड़ल डेवलपमेंट प्लान की सुवचना हेतु गतिरा समित्व, स्वीकृति समिति और अन्य समन्वय समित्वों से प्रतिनिधित्व करके और

(चार) मुख्य आदिता से या विकासप्रदाताओं/अन्य संस्थाओं संस्थाओं और सहभागिता से टी.ओ.डी. परीक्षण तैयार एवं विचारित करना।

4. उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के नियंत्रणाधीन क्षेत्र/संजनाओं में नीति का क्रियान्वयन।

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1985 के नियंत्रणाधीन क्षेत्र/संजनाओं में इस नीति का क्रियान्वयन उक्त अधिनियम के अधिकारों की सीमा के अन्तर्गत उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद द्वारा किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में एकीकर्ता समिति का गठन एवं टी.ओ.डी. योजना का क्रियान्वयन उक्त अधिनियम की सुसंगत धारओं के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा। इस स्थिति में वी.सी.एफ. संसाधनों का 50 प्रतिशत आवास एवं विकास परिषद तथा 50 प्रतिशत ट्रा.जि. वितीय सहायता के लिये उपयोग में लाया जायेगा।

संलग्नक:

1. अनुसूची-एक

(ट्राजिड परियोजनाएँ, जहाँ

टी.ओ.डी. नीति प्रयोज्य होगी)

2. अनुसूची-दो

(टी.ओ.डी. जॉन के जॉनल डेवलपमेंट

प्लान हेतु सांकेतिक विषय वस्तु)

3. अनुसूची-तीन

(टी.ओ.डी. जॉन के लिये जॉनल डेवलपमेंट

प्लान के अन्तर्गत पूर्ण विषय जॉन वाले नेशनल

ट्राजिड ओरियन्टेड पॉलिसी, 2017 के उद्देश्य)।

अधीन
निमित्त समस्त गोपनी
प्रमुख सचिव।

संख्या : 2120 (1)/आठ-3-22-18धविधि/14-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अवस्थामन्त्रा एवं औद्योगिक विभाग अध्यापक, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. आवक एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।

8. विद्याविमर्शः अन्तरात् सुतमेव सुतां नृपरां ।
9. तामप्यन्यं यस्मैतन् विद्यायां गुणोक्तयः सतां नृपरां ।
10. अथवा, यस्मैतन् विद्येभ्यः क्षेत्रं विद्यया आसीद्व्युत्पन्नं यत्तत्तत् प्रवक्ष्यामि ।
11. नियता प्राणिमादि रोगमस्तं विजिगीषन्तं वाचं सुतमेव अक्षयम् ।
12. सच्चिदम् अन्तरात् प्रवक्ष्यामि यस्मैतन् विजिगीषन्तं वाचं सुतमेव अक्षयम् ।
13. गुणान् नृपरां एव अक्षयं निरालोक्य, सुतमेव अक्षयं विजिगीषन्तं विद्यायां अक्षयम् ।
14. निरक्षराः आधायां वाच्यं वा विजिगीषन्तं अक्षयम् । सुतमेव अक्षयं अक्षयम् ।
15. गार्ह्यं कादृशम् ।

2014

(अनुसूचित जाति)

三、

१. पछितीसन रिपोर्ट

- घरिसोमन रिपोर्ट, जिसमें जी.आई.एस. आवारित सर्वे सहित सी.ओ.डी. ओन की सेवा का परिसीमन प्रदर्शित हो और साथ ही परिसीमन की प्रक्रिया एवं तर्क आधार भी हो।

२. विद्यमान स्थिति का मूल्यांकन, आंकड़ों का विश्लेषण, अनुमान और सौंग-आपूर्ति अन्तर मूल्यांकन रिपोर्ट-

- भौतिक विशेषताएं यथा-रोड नेटवर्क, गावियाँ, आवा-पास/संवान उपयोग, सीमा चिन्ह, हरित क्षेत्र विवरण, निर्मित क्षेत्र, आदि।
- घातू एवं मिट्टीमान लैबराट्री और विकास नोड को आस पास विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों जैसे उ.प्र. सब निगम, लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, आई.पी.एल, लेडीकास अपार्ट्स, समीप निगम, विकास प्राधिकरण, आदि द्वारा दिए गए अन्य सार्वजनिक कार्यों का सीमांकन/मानचित्रण।

भौतिक अवस्थापना मानचित्रण में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- सड़कें
- जल-आपूर्ति
- मल-निकास
- ड्रेनेज
- दोस अपशिष्ट
- विद्युत
- गैस पाइपलाइन
- ऑप्टिकल फाइबर

सामाजिक अवस्थापना मानचित्रण में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- शिक्षण
- शिक्षा
- संचार-सेवा
- सुखा-पुनिस
- सुरक्षा-आग्न संरक्षण

- असौम्यप्रारम्भिक व्यावसायिक क्षेत्र सहित विद्यमान विधायकताओं के अवलोकन की पहचान और आसक्ति टी.ओ.डी. जेन के भीतर स्थानीय/सार्वजनिक स्थानों का उपयोग
- महायोजना पर सुपरस्ट्रक्चर डिजिटल/जीआईएस स्थान आधार मानचित्र टी.ओ.डी. जेन के भीतर सुपरस्ट्रक्चर के वर्तमान भू-उपयोग की पहचान टी.ओ.डी. के लाभों में यदि हेतु भू-उपयोग के परिवर्तन की आवश्यकताओं हेतु संशुद्धि
- महायोजनान्तर्गत विभिन्न प्रस्तावों को सुनिश्चित करना जिससे सबको को सहाय्य करना सेवाओं का विस्तार, आदि भी शामिल है
- जनसंख्या घनत्व की गणना
- टी.ओ.डी. के क्रियान्वयन के संरक्षकत्व टी.ओ.डी. जेन के भीतर विद्यमान सब प्रस्तावों द्वारा मानचित्रों द्वारा प्रस्ताव और महिला में होने वाले/समाप्त अन्य विकास कार्य
- आवागमन, आदि के कारण प्रेरित जनसंख्या में अभावित क्षेत्रों
- टी.ओ.डी. नीति के अनुसार सुपरस्ट्रक्चर विराण की गणना और
- पुनर्विकास/टी.ओ.डी. विकास का प्रभाव यातायात प्रक्षेपण और अवेकिंग इत्यादि मानचित्रों के भीतर प्रस्ताव प्रदान योजना और सार्वजनिक अनुपयोगी माहौल।

प्रस्तावों/भूउपयोग पर सिफोट और टी.ओ.डी. जेन में विकास/समर्थन के लिए संसूतिया-

(क) विकास, पुनर्विकास, आसथागत सम्पन्न, आदि के प्रस्तावों पर सिफोट

(जहाँ अधिकार टी.ओ.डी. क्षेत्र विकसित/निर्मित क्षेत्र है, वहाँ आगू, इत्यादि)

- महायोजना पर सुपरस्ट्रक्चर डिजिटल/जीआईएस स्थान आधार मानचित्र टी.ओ.डी. जेन के भीतर सुपरस्ट्रक्चर के वर्तमान भू-उपयोग की पहचान टी.ओ.डी. के लाभों में यदि हेतु भू-उपयोग की परिवर्तन की आवश्यकताओं हेतु संशुद्धि
- महायोजनान्तर्गत विभिन्न प्रस्तावों को सुनिश्चित करना जिससे सबको को सहाय्य करना सेवाओं का विस्तार, आदि भी शामिल है
- जनसंख्या घनत्व की गणना

(टी.ओ.डी. जॉन का परिशिष्टित महायोजना में समायोजन एवं उसके अधीन विचार किए गए

जोसल डेवलपमेंट प्लान के अनुमोदन के अध्याधीन)

डाटाइट परियोजना	टी.ओ.डी. जॉन	अन्य हाई पोटेन्शियल क्षेत्र	विकास प्राधिकरण की अधिकारिता
लाखनऊ मेट्रो	कौन्सिलर टी.ओ.डी. जॉन	—	लाखनऊ विकास प्राधिकरण
कानपुर मेट्रो	कौन्सिलर टी.ओ.डी. जॉन	—	कानपुर विकास प्राधिकरण
सिरुली-गाजियाबाद-मेरठ रोजनल रमिड ड्राजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.)	कौन्सिलर टी.ओ.डी. जॉन-आर.आर. टी.एस. स्टेशनों पर	विशेष विकास क्षेत्र (एस.सी.ए.) जैसा कि गाजियाबाद और मेरठ महायोजना में चिह्नित है	आजियाबाद विकास प्राधिकरण मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ मेट्रो	कौन्सिलर टी.ओ.डी. जॉन	—	मेरठ विकास प्राधिकरण
आगरा मेट्रो	कौन्सिलर टी.ओ.डी. जॉन	—	आगरा विकास प्राधिकरण

(उत्तर प्रदेश सरकार से विचार-विमर्श के आधार पर भरा जायेगा)

- भौतिक और सामाजिक आवश्यकताओं सेवाओं के प्रदायन / आवर्धन, सर्वोपलब्ध क्षेत्रों से संग्रहण, खुले स्थानों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक सुविधाओं, आदि (जो भी प्रायोज्य हों) के शुधार हेतु संस्तुतियाँ;
 - नौड विशेष के लिए भवन उपविधि, टी.ओ.डी. स्कीम के लिये प्राविण्य मानदण्ड, वारतु संबंधी नियंत्रण, अर्बन डिजाइन गाईडलाइन्स, यदि कोई हो;
 - साइकल दौड़ीकरण अथवा सार्वजनिक भागों को वेदल चलने वालों / चलने योग्य बनकर बालायात अवस्थापना के शुधार तथा एन.एम.टी / साइकल लेन, मल्टी-मोडल इटीपेशन, बहुउपयोगिता जोन्स, सार्वजनिक पारिण्य की व्यवस्था, स्ट्रीट फर्निचर, संकेत किण्ड आदि के लिये संस्तुतियाँ;
 - पारिण्य प्लान और एन.एम.टी.पी. असाइस पारिण्य, बेसमेन्ट पारिण्य आदि के लिये क्षेत्रों का चिह्नीकरण, जिसमें किम्लिखित भी शामिल है—
 ➤ टी.ओ.डी. जोन में विद्यमान सुविधाओं और
 ➤ प्रक्षेपित पारिण्य आवश्यकता (फ्लॉटिंग जनसंख्या स्थिति)
 - नौड विशेष की आवश्यकताओं के आधार पर इन्वर्सिबल / अपरेडेबल साइसिंग एवं ई-इलेक्ट्रु एस. आवश्यकताएं, यदि कोई हो, के लिये प्रावधान और
 - पुनर्विकास योजनाओं / शुधार / अतिक्रमण निवारण अनौपचारिक सेक्टर, रेडिंग / डॉकर जोन्स आदि के लिये स्थलों का चिह्नीकरण।
- (ख) मांग का मूल्यांकन, विजनिंग, एणनीति का कियान्वयन और भू-उपयोग की विस्तृत योजना
- (जहाँ टी.ओ.डी. जोन का अधिकांश क्षेत्र अधिकसिक्त है अथवा हाई मोटैलिथील क्षेत्र हों, केवल वही प्रयोज्य होंगे)
- महार्योजना पर डिजिटल / सीआईएस, प्लान का सुपर इम्पोजिशन, असाइस-टी.ओ.डी. जोन के भीतर गूखण्डों के वर्तमान भू-उपयोग का चिह्नीकरण;
 - बाहरी भूमि और सेक्टर सासाधनों, मरियहन (क्षेत्रीय, अन्तः क्षेत्र अन्तः-मार्गीय यहुँत), अवस्थापना और सुविधायें, सामाजिक-आर्थिक संसाधन, संरक्षा एवं सुरक्षा अवस्थापना, आदि के संवेद्य में विद्यमान स्थिति का विश्लेषण और बहन क्षमता का निर्धारण;

शैक्षिक अवस्थापना सम्बर्द्धन प्रस्तावों में विम्बलिखित शामिल होंगे:-

- सहयोग
- जल-आपूर्ति विभाग जल का पुनर्उपयोग भी शामिल है
- मूल-निकास
- ड्रेनेज
- लोस अपशिष्ट
- विद्युत
- गैस पाइपलाइन
- ऑटिकल फाइबर

सांसायिक अवस्थापना सम्बर्द्धन प्रस्तावों में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- स्वस्थ
- शिक्षा
- संचार-सेवा
- सुरक्षा-पुलिस
- स्वास्थ्य-अग्नि-शमन
- सामाजिक-सांस्कृतिक सुविधाएं

नोट विशेष हेतु भवन उपविधि, टीओडी के लिये पार्किंग मानदण्ड कारतु संबंधी निर्देशन, आर्बन डिजाइन गाईडलाइन्स

पर्यटक ट्राजिड, मस्की-मोडल इटीप्रेशन, प्रथम और अंतिम मोल का संयोजन और पैदलमार्ग के लिये स्थानीय-इसमें परिसरून अवरथापना तथा-सम्पूर्ण सार्वजनिक मार्गों का पैदल चलने वालों/चलने योग्य बर्तानों और एस्पेमटी/साइकल लेन, मस्की-मोडल इटीप्रेशन, फीडर सेवायें, यह उपयोगिता खोज, सांख्यिक पार्किंग की व्यवस्था, स्ट्रीट फर्नीचर संकेतकों आदि के विभाग के लिये अनुसूचियों

● पार्किंग प्लान और एम.एल.सी.पी., घरातल पार्किंग, वेसमेंट पार्किंग, अति के लिये क्षेत्रों का विनियमन, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:-

- टीओडी ज़ोन से विद्यमान सुविधाएँ - और
- पार्किंग आवश्यकता का प्रक्षेपण (फ्लोटिंग जनसंख्या सहित)

अध्यापक, दिल्ली के राष्ट्रीय दूर शिक्षण पं. एन. टी. सी. में, सन 1983-84 में
प्रशिक्षण स्टाफ की नियुक्ति अधिनियम की धारा 11